न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 22 / दावा / 2017

1. इन्दूबाई आयु वर्ष माता रतनबाई पत्नि सुनील कुमार जाति महाजन (जैन) निवासी ग्राम नौताडा हाल निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)

वादी —

— बनाम —

1. गोपाल सिंह आत्मज श्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला (राज.)

प्रतिवादी —

वाद : अन्तर्गत धारा 183 आर.टि.एक्ट

वाद वास्ते बेदखली एवं प्राप्त करने कब्जा कृषि भूमि।

उपस्थित :— 1. वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता

2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक 10.09.2018

1. वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :—

वादी ने एक वाद दिनांक 22.03.2017 को पेश किया। कृषि भूमि ख.सं. 172 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। वादिनी के खातेदारी अधिकार की है। प्रतिवादी लडाकू व प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने ताकत के बल पर बिना किसी अधिकार के वादिनी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। जब दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में वादिनी ने प्रतिवादी से पूछा की मेरी कृषि भूमि पर क्यों बैठे हो तो प्रतिवादी ने कहा की इस कृषि भूमि पर मैंने कब्जा कर लिया है। अंतिम बार वादिनी द्वारा दिनांक 12.02.2017 को भी प्रतिवादी से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से कब्जा हटाकर वादिनी को सुपुर्द करने को कहां तो प्रतिवादी नाराज हो गया और उसने वादिनी को गालिया निकाली व कब्जा छोडने से इंकार कर दिया। वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी को मौके से बेदखल कर मौके पर कब्जा प्राप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीनी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 18.12.2017 को अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादीनी की ओर से साक्ष्य में वादिनी इन्दू बाई एवं सूरजमल श्रृंगी का शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज पेश किये गये जिनमे जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 प्रदर्श– 1, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श–3 है।

4. वादीनी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादीनी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादीनी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादीनी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। इसके विपरित प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है ऐसीस्थिति में यह साबित होता है कि प्रतिवादी ने वादीनी की वाद वर्णित कृषि भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रखा है तथा वादीनी रिकार्डेड खातेदार होने से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी पाई जाती है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख.सं. 172 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) का कब्जा वादीनी को संभलावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

10/9/18

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner